छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 251/2009 एवं शिकायत प्रकरण क्रमांक 344/2009</u>

1. श्री बिजेन्द्रलाल, — अपीलार्थी
ग्राम–दुधनिया खुर्द, पोस्ट–आ0 कटगोड़ी,
तहसील–सोनहत, जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रति अपीलार्थी
कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 05 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बिजेन्द्र लाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 08.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.07.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपील में कोई निर्णय नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.02.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। लगभग इसी विषय पर उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष दिनांक 17.01.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.04.2009 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई। चूंकि अपील एवं शिकायत दोनों का विषय एवं जानकारी समान बिन्दुओं से संबंधित ही है, पक्षकार एक ही है और तर्क भी समान प्रस्तुत किये गये थे, अतः दोनों प्रकरणों में एक ही आदेश पारित किये जा रहे हैं।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा वाहन क्रमांक सी0जी0–16, 9809 से संबंधित जानकारी चाही गई थी। प्रति–अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित तर्क में बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी से संबंधित अभिलेख काफी खोजबीन करने के बाद भी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त अभिलेख क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सरगुजा के कार्यालय से संबंधित थे, जो उस जिले के विभाजन के बाद दिनांक 01.08. 2005 को जिला परिवहन कार्यालय, कोरिया को हस्तांतरित किये गये थे और अब जिला परिवहन कार्यालय, कोरिया में भी उक्त अभिलेख उपलबध नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्क में बताया कि उनके द्वारा मई, 2005 के उपरांत जानकारी चाही गई थी तथा जिला विभाजन के कारण संबंधित अभिलेख अगस्त, 2005 में हस्तांतरित किये गये थे तथा उक्त दो माह की अवधि में प्रति अपीलार्थी द्वारा उन्हें जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती थी, किन्तु उक्त अवधि में उन्हें जानकारी नहीं दी गई तथा जिला विभाजन के कारण अभिलेख हस्तांतरण के दौरान गुम होने का बहाना बनाया जा रहा है। उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क उचित प्रतीत होता है, अतः सचिव, परिवहन विभाग, छ0ग0 शासन को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की समुचित जॉच करें और अभिलेख के गुम होने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही इस बीच यदि जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 600/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं। आयोग के आदेश का पालन प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रकरण पालन प्रतिवेदन की प्रतिक्षा में स्थगित।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docucdesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com